ALL INDIA LOCO RUNNING STAFF ASSOCIATION

MUMBAI DIVISION CENTRAL RAILWAY

Regd. No. 17903 H/Q :Aravindapalli, Lower Beniasole, Post.-Adra, Distt. Purulia (W.B.) Pin 723121

Central Office : AILRSA BHAWAN, H.No. 333, Bhoor Bharat Nagar, Ghaziabad - 201001.Tel. No. : 0120-2740025

VIRENDRA SINGH Divisional President Mob : 9004414957

H B SINGH Divisional Treasurer Mob: 9004442686

R. K. SHARMA Divisional Secretary Mob : 8097169215

ailrsamumbai@gmail.com

Mumbai office:-104/9, KUSH AYODHYA NAGARI HENDREPADA,BADLAPUR WEST,THANE,MH 421503

Letter No. ____________

Ref. No. ____________

माननीय अध्यक्ष महोदय,　　　　दिनांक: 22.08.2025

रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।

द्वारा : मंडल रेल प्रबंधक मुम्बई मंडल।

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय DivL. Rly. Managers Office CSMT MUMBAI छ.शि.म.ट. मुंबई 25-08-2025

विषय: SPAD के पश्चात साइको/योग्यता परीक्षण में विफल हुए रनिंग स्टाफ को 30% वेतन तत्व एवं 55% पेंशन लाभ से वंचित करने के आदेश के विरुद्ध प्रतिनिधित्व — उक्त आदेश को निरस्त कर पूर्ववर्ती कानूनी स्थिति बहाल करने हेतु निवेदन।

संदर्भ: E(P&A)II-2025/RS28 दिनांक 11.08.2025

यह संघ रेलवे बोर्ड से निम्नलिखित बिंदुओं पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करने का निवेदन करता है:

1. स्थापित नियम स्थिति:

1.1. भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली (IREM, Vol. I) के पैरा 924 के अनुसार, रनिंग स्टाफ का वेतन = मूल वेतन + 30% वेतन तत्व, जो स्थायी पदों पर नियुक्ति के समय वेतन निर्धारण हेतु मान्य होता है।

1.2. रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या E(P&A)II-80/RS-10 दिनांक 29.06.1981 एवं इसके पश्चात जारी स्पष्टीकरणों में 55% वेतन तत्व को पेंशन लाभ हेतु मान्यता दी गई है।

1.3. RBE संख्या 77/1993 एवं 109/1997 में यह पुनः स्पष्ट किया गया कि चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित रनिंग स्टाफ को स्थायी पदों पर नियुक्ति के समय 30% वेतन तत्व प्रदान किया जाना चाहिए।

1.4. FR 22(1)(a)(1) की व्याख्या में माननीय उच्चतम न्यायालय ने (Union of India v. P.N. Menon, (1994) 4 SCC 68) यह स्पष्ट किया कि वेतन निर्धारण में "वेतन" की परिभाषा में सम्मिलित सभी तत्वों को शामिल करना अनिवार्य है। अतः 30% वेतन तत्व को वंचित करना विधिसम्मत नहीं है।

2. न्यायिक निर्णय:

2.1. K. Gopakumar v. Union of India (CAT/Ernakulam Bench, OA No. 482/1998) में न्यायाधिकरण ने निर्णय दिया कि IREM के अनुसार रनिंग अलाउंस/वेतन तत्व को पेंशन निर्धारण से वंचित नहीं किया जा सकता।

2.2. Rajinder Singh v. Union of India (Punjab & Haryana HC, CWP No. 16266/2001) में यह कहा गया कि वेतन तत्व से वंचित करना वैध अधिकार की वसूली के समान है, जो अस्वीकार्य है।

2.3. State of Punjab v. Rafiq Masih (2015) 4 SCC 334 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सेवा नियमों से प्राप्त लाभों की वसूली या वंचन, विशेषकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में, अवैध है।

2.4. अन्य कई CAT/उच्च न्यायालय के निर्णय (जैसे A.K. Srivastava v. UOI, CAT/Allahabad OA No. 872/2002) में रेलवे द्वारा रनिंग अलाउंस लाभों को वंचित करने के प्रयासों को निरस्त किया गया।

3. वर्तमान आदेश क्यों अनुचित है:

3.1. दिनांक 11.08.2025 का आदेश SPAD के पश्चात साइको/योग्यता परीक्षण में विफल हुए रनिंग स्टाफ को 30% वेतन तत्व एवं 55% पेंशन लाभ से वंचित करता है — यह एक नई अर्हता निरस्तीकरण है।

3.2. यह न तो IREM में वर्णित है, न ही किसी वैधानिक नियम में — अतः यह प्रशासनिक अतिक्रमण है।

3.3. यह भेदभावपूर्ण व्यवहार को जन्म देता है: चिकित्सकीय रूप से अयोग्य कर्मचारी एवं SPAD के लिए केवल चेतावनी/CR प्रविष्टि प्राप्त कर्मचारी को लाभ मिलता है, परंतु योग्यता परीक्षण में विफल कर्मचारियों को नहीं — यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन है।

3.4. यह रेलवे सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 का उल्लंघन करते हुए बिना उचित प्रक्रिया के आर्थिक दंड थोपता है।

4. निवेदन:

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह संघ निम्नलिखित मांग करता है:

1. दिनांक 11.08.2025 का आदेश E(P&A)II-2025/RS28 निरस्त किया जाए एवं साइको/योग्यता परीक्षण में विफल रनिंग स्टाफ सहित सभी को 30% वेतन तत्व एवं 55% पेंशन लाभ पुनः प्रदान किया जाए।

2. न्याय एवं प्राकृतिक न्याय की भावना से, ऐसे कर्मचारियों को साइको/योग्यता परीक्षण में पुनः एक अवसर दिया जाए।

3. प्रभावित रनिंग स्टाफ के वेतन एवं पेंशन लाभों की पुनः समीक्षा कर उन्हें IREM पैरा 924, रेलवे बोर्ड परिपत्र (RBE 77/1993, RBE 109/1997, E(P&A)II-80/RS-10) एवं उपर्युक्त न्यायिक निर्णयों के अनुसार बहाल किया जाए, साथ ही बकाया राशि का भुगतान किया जाए।

अतः हम आपसे निवेदन करते हैं कि उक्त भेदभावपूर्ण आदेश को वापस लिया जाए एवं रनिंग स्टाफ के साथ न्याय सुनिश्चित किया जाए।

सादर,

(R. K. SHARMA)
Secreatry
AILRSA Mumbai Division